राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर,

पावर प्रणाली के विनियमन के लिए कोड़ों की विरचना

संख्या सचिव राविविआ विनियम 11:- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के द्वारा उसे, प्रदत्त शक्तियों और इस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. **संक्षितप नाम ओर प्रारंभ:-**

(1) ये विनियम ''राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (पावर प्रणाली के लिए कोड़ों की विरचना) विनियम, 2002'' कहे जायेंगे।

(2) ये विनियम राज-पत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:-**

ये विनियम राज्य में प्रावर प्रणाली के कामकाज के दक्षतापूर्ण, मित्तव्ययितापूर्ण और साम्यपूर्ण रीति से होने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उक्त प्रणाली के विनियमन और प्रचालन के लिए आयोग या किसी अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा विरचित किये जाने वाले सभी कोड़ों पर लागू होंगे।

3. **परिभाषा:-**

इन विनियमों में, शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा, जो उनके लिए विधुत अधिनियम, 2003 में या तदृधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में है।

4. **विभिन्न कोड़ों की विरचना और अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा उनके प्रारूपों का प्रस्तुत किया जाना:-**

(1) विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन विभिन्न विनियमों के अतिरिक्त आयोग, पावर प्रणाली की सुरक्षा और उसके कामकाज के दक्षतपूर्ण, मितव्ययिकतापूर्ण और साम्य पूर्ण रीति से होने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उक्त प्रणाली को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित कोड़ों की विरचना करेगा:-

(i) मीटरिंग कोड़

(ii) सुरक्षा कोड़

(ii) वितरण कोड

(2) आयोग अनुज्ञप्तिधारी से उपुर्यक्त कोड़ों के प्रारूप मंगा सकेगा और हितबद्ध व्यक्तियों से टीका टिप्पणी और आक्षेप आमंत्रित कर सकेगा और प्राप्त टीका-टिप्पणियों और आक्षेपों पर ऐसी रीति से विचार करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, कोड़ को अन्तिम रूप दे सकेगा।

(3) उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लिखित कोड़ों के अतिरिक्त, आयोग, विधुत अधिनियम 2003 के द्वारा जैसाकि व्यदिष्ट है, कोई अन्य कोड जिसे वह राज्य में पावर सेक्टर के किसी भी पहलू के कामकाज के विनियमन के लिए आवश्यक समझे, जारी कर सकेगा।

आयोग के आदेश से,
पी. दयाल,
सचिव, रा.वि.वि.आ.